डिस्कलेमर

आदेश संख्या 02/2021-22 के मुख पृष्ठ, निर्णयों का सार और आदेश संबंधी अध्यायों का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

फाइल: ऐरा /20010/एमवाईटीपी/सीएचआईएएल/सीपीII/2021-26

टैरिफ आदेश संख्या 02/ 2021-22

सत्यमेव जयते

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (सीएचआईएएल), चंडीगढ़ (आईएक्ससी) पर कार्गो प्रचालनों के लिए तदर्थ टैरिफ के मामले में

आदेश की तारीख : 24.6.2021

ऐरा भवन
प्रशासनिक परिसर
सफदरजंग हवाईअड्डा
नई दिल्ली – 110 003

1. पृष्ठभूमि

1.1 चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (सीएचआईएएल) को चंडीगढ़ हवाईअड्डे पर अंतरराष्ट्रीय मानकों वाला नया टर्मिनल बनाने और प्रचालित करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत 2010 में कंपनी के रूप में सम्मिलित किया गया था। सीएचआईएएल भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, (एएआई), ग्रेटर मोहाली क्षेत्र विकास प्राधिकरण (जीएमएडीए) के माध्यम से पंजाब सरकार और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण नामक (एचएसवीपी) हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचयूडीए) के माध्यम से हरियाणा सरकार की संयुक्त उद्यम कंपनी है1

1.2 सीएचआईएएल ने अपने प्रचालन 19 अक्तूबर, 2015 से प्रारंभ किए। चंडीगढ़ हवाईअड्डा सिविल एन्कलेव है और यह सीएचआईएएल, भारतीय वायु सेना (आईएएफ) और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) द्वारा संयुक्त रूप से प्रचालित किया जाता है। सीएचआईएएल यात्री टर्मिनल भवन और सिविल ऍप्रोन का प्रचालन करता है जबकि भारतीय वायु सेना (आईएएफ) और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) अपनी आंतरिक व्यवस्था के अनुसार हवाईअड्डे पर प्रमुख एयरसाइड सुविधाएं तथा विमान चालन सेवाएं प्रदान करते हैं।

1.3 सीएचआईएएल ने दिनांक 16 अप्रैल, 2021की ई-मेल द्वारा चंडीगढ़ हवाईअड्डे पर द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए अपना कार्गो प्रचालन करने का प्रस्ताव किया है। इसके बाद दिनांक 07.05.2021 के पत्र द्वारा अनुरोध किया है कि द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक सेवाओं के लिए बहुवर्षीय टैरिफ आदेश जारी होने तक तदर्थ प्रभारों के लिए अनुमोदन प्रदान करें। प्राधिकरण को ज्ञात है कि कार्गो प्रचालन जुलाई, 2021 से प्रारंभ करने का प्रस्ताव किया गया है।

2. सीएचआईएएल द्वारा की गई प्रस्तुति

2.1 सीएचआईएएल ने दिनांक 16.04.2021 की अपनी ई-मेल द्वारा कार्गो प्रचालन के लिए प्रस्तावित दर कार्ड प्रस्तुत किया है। सीएचआईएएल से प्राप्त दर कार्ड **संलग्नक –I** में दिया गया है।

2.2 अपनी प्रस्तुति में सीएचआईएएल ने प्रस्तावित दरों की अपने आस-पास स्थित अन्य हवाईअड्डों, अर्थात लखनऊ और जयपुर, में प्रचलित दरों से तुलना की है और यह औचित्य दिया है कि प्रस्तावित दरें प्रतिस्पर्धी है। देखें **संलग्नक -2**

3. सीएचआईएएल द्वारा की गई प्रस्तुतियों की प्राधिकरण द्वारा जांच

3.1 प्राधिकरण नोट करता है कि सीएचआईएएल ने जुलाई, 2021 में कार्गो प्रचालन प्रारंभ करने का प्रस्ताव किया है।

3.2 ऐरा अधिनियम, 2008 और इसके अंतर्गत समय-समय पर जारी संगत दिशा-निर्देशों/निदेशों के अनुसार कार्गो प्रचालन "वैमानिक सेवाएं" हैं और लगाई जाने वाली दरें प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की जानी है।

3.3 प्राधिकरण नोट करता है कि सीएचआईएएल ने जनवरी, 2021 में हवाईअड्डा प्रचालन के लिए प्रभार निर्धारित करने के लिए अपना बहु-वर्षीय टैरिफ प्रस्ताव पेश कर दिया है। प्राधिकरण ने हितधारकों के विचार प्राप्त करने के लिए दिनांक 18.06.2021 के सीपी संख्या 09/2021-22 द्वारा परामर्श पत्र प्रकाशित कर दिया है।

3.4 यह सुनिश्चित करने के लिए कि सीएचआईएएल के लिए द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए बहु-वर्षीय टैरिफ आदेश जारी होने तक प्रभार संग्रहित करने और चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर कार्गो प्रचालन प्रारंभ करने के संबंध में कोई विनियामक कमी नहीं है, प्राधिकरण ने कार्गो प्रचालन प्रारंभ होने की तारीख से सीएचआईएएल द्वारा प्रस्तावित कार्गो सेवाओं के लिए तदर्थ टैरिफ का अनुमोदन करने का निर्णय लिया है।

3.5 यह आदेश सीएचआईएएल के लिए द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए बहु-वर्षीय टैरिफ आदेश को कार्यान्वित किए जाने की तारीख से प्रभावी नहीं रहेगा।

3.6 इस तदर्थ टैरिफ आदेश के कार्यान्वयन के आधार पर संग्रहित राजस्व को अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ का निर्धारण करते समय टूअप किया जाएगा।

4. **आदेश**

रिकॉर्डों में उपलब्ध सामग्री पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद प्राधिकरण भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 13(1)(ए) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतदद्वारा आदेश देता है कि:-

4.1 सीएचआईएएल को चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर कार्गो प्रचालन प्रारंभ करने की तारीख से **संलग्न-I** के अनुसार कार्गो प्रचालनों के लिए तदर्थ आधार पर टैरिफ वसूल करने की अनुमति दी जाती है।

4.2 यह आदेश प्राधिकरण द्वारा सीएचआईएएल की द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए बहुवर्षीय टैरिफ आदेश के कार्यान्वयन की तारीख से लागू नहीं रहेगा।

4.3 संग्रहित राजस्व तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक टैरिफ का निर्धारण करते समय टूअप किए जाएंगे।

4.4 इसमें निर्धारित टैरिफ उच्चतम दरें हैं और इनमें कर, यदि कोई हो, शामिल नहीं है।

4.5 हवाईअड्डा प्रचालक आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

प्राधिकरण की ओर जारीकर्ता

(कर्नल मनु सूदन)
सचिव

सेवामें,

मैसर्स चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड,
न्यू सिविल एयर टर्मिनल,
चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा
झुरहेरी, मोहाली-140306

(मार्फत: श्री अजय कुमार, मुख्य कार्यपालक अधिकारी)

प्रतिलिपि: सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली -110003

5. **संलग्नकों की सूची**

संलग्नक संख्या	**विवरण**
संलग्नक -1	कार्गो टैरिफ कार्ड
संलग्नक -2	सीएचआईएएल द्वारा प्रस्तुत दरों की अन्य हवाईअड्डों की दरों के साथ तुलना